झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–172 / 2019

श्रीमती दयामंती देवी .....याचिकाकर्त्ता

बनाम्

राजेश कुमार रजक .....विरोधी पक्ष

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री ओम प्रकाश तिवारी, अधिवक्ता।

विरोधी पक्ष के लिए : श्री दीपांकर, अतिरिक्त पी0पी0।

आदेश संख्या 03 दिनांक–12.06.2020

आई0ए0 संख्या 2097 वर्ष 2020 के साथ आई0ए0 संख्या 2434 वर्ष 2019

पार्टियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना।

यह याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया जाता है कि इन याचिकाओं को सिविल विविध याचिका दायर करने में हुई देरी की माफी के लिए दायर किया गया है।

याचिकाओं में उल्लिखित आधारों से संतुष्ट होने पर, इस सिविल विविध याचिका को दायर करने में हुई देरी को माफ किया जाता है।

इन वादकालीन आवेदनों को तद्नुसार निपटाया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया0)

सी0एम0पी0 संख्या 172 वर्ष 2019

यह सिविल विविध याचिका सेकेंड अपील सं0–37/2012 को उसकी मूल फाइल में पुनर्ग्रहण की प्राथर्ज्ञना के साथ दायर की गई है।

याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता बीमार थे, इसलिए वह इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके, जब इस मामले को पुकारा गया था, क्योंकि दिनांक 20.12.2018 के आदेश द्वारा यह सेकेंड अपील सुनवाई के लिए तय की गई थी। इसके बाद यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्त्ता के पास इस सेकेंड अपील को प्रचालित करने के लिए बहुत अच्छा आधार है और यदि सेकेंड अपील संख्या 37/2012 को उसकी मूल फाइल में पुनर्ग्रहण नहीं किया जाता है, याचिकाकर्त्ता अत्यधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। इसलिए, यह निवेदन किया जाता है कि सेकेंड अपील संख्या 37/2012 को इसकी मूल फाइल में पुनर्ग्रहण किया जाय।

विपरीत पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को कोई गंभीर आपत्ति नहीं है, लेकिन वह यह निवेदन करता है कि याचिकाकर्त्ता के आचरण के कारण विपरीत पक्ष को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, इसलिए उसे पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए।

मामले के पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सेकेंड अपील संख्या 37/2012 को अभिलेख पर विरोधी पक्ष की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता को 500/– रूपये का भुगतान याचिकाकर्त्ता द्वारा एक सप्ताह के अन्दर भुगतान करने पर सेकेंड अपील सं0–37/2012 को इसकी मूल फाइल में पुनर्ग्रहित किया जाएगा और विफल होने पर, पुनर्ग्रहण करने का सशर्त आदेश अप्रभावी होगा और यह सिविल विविध याचिका बेंच को संदर्भित किये बिना खारिज कर दी जाएगी।

यदि अभिलेख पर विरोधी पक्ष की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता को 500/– रूपये का याचिकाकर्त्ता द्वारा एक सप्ताह के अन्दर भुगतान करने का सबूत पेश करने पर, सेकेंड अपील सं0–37/2012 को उपयुक्त पीठ के समक्ष उपयुक्त शीर्षक के तहत सूचीबद्ध करें।

इस सिविल विविध याचिका को तद्नुसार निपटाया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया0)